संख्या 868/13/6/98–का०–1-2000

प्रेषक,

श्री प्रदीप शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।

लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2000

विषय :–सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 13/48/85–कार्मिक–1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–3(2) में ऐसे सरकारी सेवकों की स्क्रीनिंग कमेटी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, के गठन का उल्लेख है। इस कमेटी में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी को सदस्य के रूप में रखे जाने की व्यवस्था की गई है।

2—उक्त शासनादेश के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए मुख्य सचिव महोदय को वरिष्ठ अधिकारी के नामांकन हेतु प्रत्येक विभाग से प्रत्येक वर्ष पत्रावलियां सम्प्रेषित की जाती हैं। शासन स्तर पर सेवा सम्बन्धी नीति-निर्धारण एवं अन्य कार्यों का सम्पादन कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए कार्मिक विभाग में विशेष सचिवगण नियुक्त हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार हेतु आयोजित बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नामित अधिकारी के रूप में कार्मिक विभाग के विद्यमान विशेष सचिवगण स्वतः ही नामित माने जाएंगे।

3—अतः स्पष्ट किया जाता है कि अब उक्त व्यवस्था के हो जाने से भविष्य में प्रश्नगत बैठक के लिए मुख्य सचिव महोदय की ओर से कार्मिक विभाग के अधिकारी के नामांकन हेतु पृथक से आवश्यकता न होगी।

भवदीय,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव